आवेदन शुल्क 1000/–

कार्यालय नगर निगम,कोटा (राज.)

राष्ट्रीय मेला दशहरा–2016

आवेदन पत्र

उपायुक्त एवं मेला अधिकारी महोदय
नगर निगम, कोटा
विषय :– मेला दशहरा–2016 में एक दिवसीय संगीत समारोह कार्यक्रम प्रस्तुत करने बाबत्।
महोदय ,

निवेदन है कि हमारी इवेंट कम्पनी आपके द्वारा दिनांक 17.10.2016 को यू.आई.टी. ओडोटोरियम में आयोजित एक दिवसीय संगीत समारोह **कार्यक्रम** राष्ट्रीय मेला दशहरा–2016 में प्रस्तुत करना चाहता/चाहती हूँ।

1. संस्था /इवेंट कम्पनी का नाम ....
2. प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम ....
3. पूर्ण डाक का पता ....
4. फोन /मोबाईल नं0 /फेक्स नं0 ....
5. ईमेल..
6. पेन कार्ड़ नं0 ....
7.कार्यक्रम की अनुमानित राशि– 300000/–
8. आवेदन शुल्क 1000/–डी.डी. न0....................................दिनांक.................................
9. धरोहर राशि 30000/– डी.डी. न0...................................दिनांक................................

(उपरोक्त धरोहर राशि कार्यक्रम स्वीकृत होने के उपरान्त प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित कर ली जावेगी।)

क्र0सं0	कलाकार का नाम	सहकलाकारो के नाम व संख्या	म्यूजियशन की संख्या	मांगीगई राशि
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट –

1. समस्त प्रकार के करो का दायित्व संवेदक का होगा। भुगतान कार्यक्रम सन्तोषजनक पाये जाने पर नगर निगम, कोटा के द्वारा RTGS के जरिये संवेदक के खाते में सीधा जमा करवाया जाऐगा।
2. बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. शर्ते संलग्न है।

प्रोपराईटर/पार्टनर के हस्ताक्षर

शर्ते –

1. स्वीकृत की गई राशि में कार्यक्रम नहीं किये जाने की दशा में धरोहर राशि जप्त कर नियामानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
2. कार्यक्रम का सम्पूर्ण विवरण अंकित करें। मुख्य कलाकार का नाम, सहकलाकारो की संख्या, म्यूजियशन की संख्या सहित पूर्ण विवरण अंकित करें।
3. किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिये कार्यालय **राजीव गांधी भवन, 'ए' ब्लॉक, द्वितिय तल पर स्थित मेला प्रकोश्ठ कार्यालय नगर निगम कोटा (0744–2502126)** में सम्पर्क करें एवं आवेदन भी प्रेषित करें।
4. कार्यक्रम की अवधि 3 घंटे होगी।
5. आपको कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारम्भ करना होगा। कार्यक्रम की तारीख के दिन कलाकार दोपहर 12 बजे तक आवश्यक रूप से कोटा पहुंच जाये। इसकी सुनिश्चितता आप स्वयं करें तथा इसकी सुचना दी जावे ताकि कार्यक्रम की प्रस्तुति में अनावश्यक विलम्ब नहीं होवें।
6. संस्था/इवेंट कम्पनी द्वारा मंच की गरिमा के अनुसार कार्यक्रम करना होगा। कार्यक्रम मे किसी प्रकार का अश्लील प्रदर्शन व अंग प्रदर्शन नही होगा ।
7. **संस्था को स्वयं को अपने स्तर पर कलाकारो को ठहराने की आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था** करनी होगी। संस्था द्वारा कलाकारों के ठहरने के स्थान की सूचना लिखित में मेला प्रकोष्ठ कार्यालय में देना होगा। **नगर निगम द्वारा स्थानीय वाहन व्यवस्था (आवास से मंच तक लाने व ले जाने) की जावेगी।**
8. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या किसी कारणवश कार्यक्रम नही हो पाने पर संस्था/इवेंट कम्पनी को नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात संस्था/इवेन्ट कम्पनी द्वारा निर्धारित राशि के स्टाम्प पत्र पर कार्यक्रम का अनुबन्ध 3 दिवस में करना अनिवार्य होगा। कलाकार का नाम तय होने के उपरान्त अन्दरमियाद एक दिवस में कलाकार का सहमति पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
10. प्रस्ताव के साथ कलाकारों की फोटो व उनके द्वारा गत वर्षो में सम्पादित कार्यक्रमों की सी0डी0 भी सलंग्न करनी होगी ।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में कोटा नगर निगम प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा ।
12. किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र कोटा राजस्थान होगा ।
13. अन्य शर्ते एवं उपबंध राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के अनुसार लागू होगे ।

उपरोक्त सभी शर्ते मैने /हमने पढ़ ली है। उपरोक्त शर्तो से में पूर्णतया सहमत हूं ।

<u>प्रोपराईटर /पार्टनर के हस्ताक्षर</u>